राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 232/2008/जयपुर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन–I, जोन–II, जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स गुडविल एजेंसीज, अरिहंत टॉवर, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 04/05/2017

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 483/आरएसटी/एनआरडी/2002–03 में पारित किये गये आदेश दिनांक 10.08.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन–प्रथम, वृत–द्वितीय, जयपुर जोन–द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.08.1998 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 21.08.98 को प्रत्यर्थी व्यवहारी का सर्वेक्षण किया जाने पर मौके पर GA/6 मार्का के छः पैकेट पाये गये, जिनका इंद्राज लेखा–पुस्तकों में नहीं पाया गया। इस बाबत प्रत्यर्थी व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने पर प्रत्यर्थी फर्म के पार्टनर श्री सुशील कुमार ने उक्त माल दिल्ली से आयात करना बताया एवं लेखा–पुस्तकों में दर्ज नहीं किया जाना स्वीकार किया, साथ ही अपना अपराध स्वीकार करते हुए उसी दिन प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया। इस आधार पर कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त अघोषित माल पर धारा 77(8) के तहत शास्ति रूपये 25,800/– का आरोपण किया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश से स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

लगातार.....2

3. बहस के दौरान अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि जांच में अनियमितता पायी जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी किये गये कारण बताओ नोटिस की पालना में व्यवहारी द्वारा अपना अपराध स्वीकार करते हुए उसी दिन प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया गया है। ऐसी स्थिति में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के **मैसर्स राजेन्द्र इलेक्ट्रिकल्स बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–प्रथम, जालौर में पारित निर्णय दिनांक 12.8.2009 [(2009) 25 Tax Update 20]** के निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार व्यवहारी की स्वीकोक्ति के पश्चात् प्रकरण में किसी प्रकार की जांच अपेक्षित नहीं रहती है एवं शास्ति आरोपणीय है। अतः अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण आदेश अपास्त किये जाने में विधिक त्रुटि की है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण की कार्यवाही के दौरान राजस्थान विक्रय कर नियम, 1995 के नियम 50 की पालना नहीं किये जाने के आधार पर अपीलीय अधिकारी द्वारा व्यवहारी की अपील स्वीकार करते हुए कर निर्धारण अधिकारी का आदेश अपास्त किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत प्रकरण में वक्त जांच GA/6 मार्का के छः पैकेट पाये गये, जिनका इंद्राज लेखा–पुस्तकों में नहीं पाया गया। इस बाबत् प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से अपना जुर्म स्वीकार करते हुए उसी दिन प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया, जिसके आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त माल को अघोषित अवधारित करते हुए तद्नुसार शास्ति का आरोपण किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के **मैसर्स राजेन्द्र इलेक्ट्रिकल्स बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–प्रथम, जालौर में पारित निर्णय दिनांक 12.8.2009 [(2009) 25 Tax Update 20]** के निर्णय में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि व्यवहारी की स्वीकारोक्ति के उपरान्त प्रकरण में किसी प्रकार की अन्य जांच की आवश्यकता नहीं है एवं शास्ति का आरोपण विधिसम्मत है। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा

लगातार.....3

व्यवहारी की स्वीकारोक्ति के पश्चात् धारा 77(8) के तहत शास्ति का आरोपण किये जाने में कोई विधिक त्रुटि किया जाना नहीं पाया जाता है। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए कर निर्धारण आदेश अपास्त किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है।

7. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व की अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय आदेश अपास्त किया जाता है एवं कर निर्धारण आदेश को पुनर्स्थापित किया जाता है।

8. निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष